

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अमीन

H.D.Sen/b

A.I.U.S.M.—
कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

A.I.S.

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

वन विधिवती
धनपुर वन बोर्ड (पोष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी